

## भाग-2

### सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

#### प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7— परियोजना/स्क्रीम का स्थान

उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु पत्थोरा डांडा ग्राम समूह पेजजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला—महोबा उ0प्र0 में प्रभावित संरक्षित 01 हेठो एवं बाधक 118 वृक्ष के गैर वानिकी कार्य की अनुमति।

7—	परियोजना/स्क्रीम का स्थान	उत्तर प्रदेश
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	महोबा
	(2) ज़िला	महोबा वन प्रभाग, महोबा।
	(3) वन प्रभाग	कुल 01 हेठो
	(4) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेठो में)	संरक्षित वन
	(5) वन की कानूनी स्थिति	0.1
	(6) हरियाली का घनत्व	संलग्न है।
	(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जायें सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एस0आर0एल0—2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0—4 मी0 भी संलग्न किये जायें।	क्षेत्र भू—संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं है। संरक्षित वनभूमि से लगा है।
	(8) भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं
	(9) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नहीं
	(10) क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण जैव मण्डल रिजर्व बांध रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है।	नहीं
	(यदि हाँ क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	नहीं
	(12) क्यों कोई सुरक्षित पुरातात्वी/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्योरा सक्षक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्रों के साथ यदि आपेक्षित हो दें।	हाँ अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
8—	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, तो जांचे गये विकल्पों के व्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	नहीं।
9—	क्या किसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कोर्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।

10-	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	-	संलग्न है।
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	-	प्रस्तावित क्षेत्र का मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाया मैप।	-	
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-	प्रतिपूरक वनीकरण के समय शीशम, चिलबिल, नीम, आवंला, अर्ल, सिरस, कंजी, बांस आदि प्रजातियों का रोपण विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव में संलग्न है।
	(4) प्रतिपूरक स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	-	
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें।)	-	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्त है। इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11-	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11, 12), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	-	संलग्न है।
12-	विभाग/जिला प्रोफाइल	-	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	-	326190.00 वर्ग किमी0
	(2) जिले का वन क्षेत्र	-	16587.081 हेठो
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	-	मामले 16 वन क्षेत्र 97.557822 हेठो
	(4) 1980 से जिला/विभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण क- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि	-	190.03 हेठो
	ख- वनेत्तर भूमि पर	-	X
	(5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	-	
	क- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक सहित वन भूमि	-	19.00 हेठो
	ख- वनेत्तर भूमि पर	-	24.742 हेठो
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस	-	प्रस्ताव को जनहित में स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक  
स्थान- महोबा

उप प्रभारीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग-महोबा

हस्ताक्षर प्रभारीय वनाधिकारी  
नाम महोबा-वनप्रभाग  
सरकारी मोहर महोबा